FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

1. **District (जिला):** भोपाल **P.S. (थाना):** क्राइम ब्रांच

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0143 **Year (वर्ष):** 2021

Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय): 23/05/2021 18:27 बजे

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	भा दं सं 1860	188
2	आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005	54

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day (दिन):** दरमियानी दिन
   Date From (दिनांक से): 22/05/2021
   Date To (दिनांक तक): 23/05/2021
   Time Period (समय अवधि):
   Time From (समय से): 10:00 बजे
   Time To (समय तक): 11:00 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 23/05/2021
Time (समय): 15:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 012
Date & Time (दिनांक और समय): 23/05/2021 18:27

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित
5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S.(थाना से दूरी और दिशा):** दक्षिण - पूर्व, 250 किमी
   Beat No. (बीट सं.):
   (b) **Address (पता):** एक प्रेस कान्फेंस उज्जैन

   (c) **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर है तो):**
   Name of P.S.(थाना का नाम): **District(State) (ज़िला (राज्य)):**

Scanned by CamScanner

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):**
(a) **Name (नाम):** शासन तर्फे व्दारा निरीक्षक योगिता साटनकर
(b) **Father's/Husband's Name(पिता / पति का नाम) :**
(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 21/03/1973 (d) **Nationality (राष्ट्रीयता):** भारत
(e) **UID No. (यूआईडी सं.):**
(f) **Passport No.(पासपोर्ट सं.):** **Date of Issue (जारी करने की तिथि):**
Place of Issue (जारी करने का स्थान):
(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN)**

S.No.(क्र.सं.)	Id Type (पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number (पहचान संख्या)
1		

(h) **Address (पता):**

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	थाना क्राइम ब्रांच भोपाल ,क्राइम ब्रांच,भोपाल,मध्य प्रदेश,भारत
2	स्थायी पता	थाना क्राइम ब्रांच भोपाल ,क्राइम ब्रांच,भोपाल,मध्य प्रदेश,भारत

(i) **Occupation (व्यवसाय):**
(j) **Phone number (दूरभाष सं.):**
Mobile (मोबाइल सं.): 91-7566664769

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):**
Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	श्री कमलनाथ			1. भोपाल ,श्यामला हिल्स,भोपाल, मध्य प्रदेश,भारत

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. **Total value of property (In Rs/-)-सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में):**

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

Scanned by CamScanner

12.First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

मैं थाना क्राइम ब्रांच में निरीक्षक के पद पर पदस्थ हूं किआज दिनाकं 23.05.2021 को आवेदक सुमित पचौरी मय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं सहित क्राइम ब्रांच थाना प्रागंण में उपस्थित आकर एक लिखित आवेदन पत्र (ज्ञापन) श्रीमान पुलिस अधीक्षक क्राइम ब्रांच भोपाल के नाम जिसका पत्र क्र. बीपीएल/45/2021 दिनाकं 23.05.2021 जो कि भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी मो0न0 9893263331 के प्रिंटेट लेटर हेड पर समक्ष जीटा 2 श्री राजेश भदौरिया एवं सीएसपी एमपी नगर नागेन्द्र सिहं बैश के मेरी मौजूदगी में उप निरीक्षक सुनील भदौरिया को पेश किया लेखी आवेदन पत्र पर से धारा 188 भादवि. 54 आपदा अधिनियम प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है आवेदन पत्र का विषय है कि कांग्रेस के वरिष्ट नेता कमलनाथ के व्दारा आप अपनी प्रेस कान्फ्रेंस में कोरोना को इण्डियन बैरियन्ट कोरोना कह कर देश की छवि धूमिल करने का वर्चुअल मीटिंग में आग लगाने जैसे बयान देकर जनता के मध्य भय उत्पन्न करने के संबंध में है इस आवेदन पत्र के पृष्ट भाग में सुमित पचौरी के साथ माननीय मंत्री मध्य प्रदेश शासन श्री विश्वास सारंग तथा माननीय विधायक रामेश्वर शर्मा नगर निगम अध्यक्ष आलोक शर्मा एवं वरिष्ट नेता राहुल कोठारी, ड0 राधवेन्द्, संतोष शर्मा , तथा श्रीमती कृष्णा गौर एवं श्रीमती सीमा सिहं के हस्ताक्षर सहित अंतिम पैराग्राफ में निवेदन किया गया है कि कमलनाथ जी के उक्त वर्चुअल मीटिंग एवं प्रेस कान्फ्रेंस के वयानो के आधार पर उनके विरूघ्द भारतीय दण्ड संहिता की धारा 124ए,124-2 एवं धारा 153ए धारा 188 तथा साईबर क्राइम की धारा 65 बी के अन्तर्गत आपराधिक प्रकरण दर्ज करें। उक्त ज्ञापन के संबंध में कार्यवाहक सउनि. धीरज पाण्डे को आवेदन पत्र के साथ मय पेन ड्राइव के श्रीमान जिला अभियोजन अधिकारी के पास उक्त शिकायत आवेदन पत्र के संबंध में अभिमत लेने हेतु रवाना किया गया डीपीओ के राय के उपरान्त ही उचित बैधानिक कार्यवाही कर धाराओं में इजाफा किया जावेगा। नकल आवेदन हस्व जेल है- सुमित पचौरी जिला अध्यक्ष संपर्क 9893263331 भारतीय जनता पार्टी जिला भोपाल क्र.BPL/45/2021 दिनांकः 23/05/2021 प्रति श्रीमान पुलिस अधीक्षक क्राईम ब्रांच जिला - भोपाल विषयः- कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ के द्वारा अपनी प्रेस कांफेन्स में कोरोना को इंडियन बैरियेन्ट कोरोना कहकर देश की छवि धूमिल करने एवं वर्चुअल मीटिंग में आग लगाने जैसे बयान देकर जनता के मध्य भय उत्पन्न करने के संबंध में शिकायत । महोदय , मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ नेता कमलनाथ जी के द्वारा दिनांक 22 मई , 2021 को उज्जैन में एक प्रेस - काफेन्स आयोजित की गयी थी , जो कि दैनिक समाचार - पत्रों में प्रकाशित एवं इलेक्ट्रिनिक मीडिया में प्रधारित हुआ । उक्त प्रेस - काफेन्स में उनके द्वारा वैश्विक महामारी कोरोना (कोविड -19) के संबंध में बयान दिया गया कि दुनिया में जो कोरोना फैला हुआ है , अब उसे इंडियन बैरियेन्ट कोरोना के नाम से जाना जा रहा है । उन्होने अपने उक्त बयान में आगे यह भी कहा कि कई देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कोरोना को इंडियन बैरियेन्ट के नाम से पुकार रहे है । जबकि वास्तविकता यह है कि उक्त विश्वव्यापी महामारी से लड़ते हुए जनमानस को उचित ईलाज एवं उसके स्वास्थ्य की रक्षा हेतु देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मा . नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में डक्टर्स , पैरामेडिकल स्टफ , पुलिसकर्मी , प्रशासन एवं सामाजिक संगठन इत्यादि कधे से कंधा मिलाकर एकजुट होकर व्यवस्थाओं में एक - दूसरे का साथ दे रहे है , ताकि देश के प्रत्येक नागरिक को उचित स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त हो सकें । परन्तु ऐसे समय में देश की जनता को भ्रमित करने के उद्देश्य से ताकि देश की जनता के मन में शासन - प्रशासन के विरुद्ध आक्रोश उत्पन्न हो , जिससे देश में अराजकता फैलाकर देश की शाति भग की जा सके तथा देश को अंर्तराष्ट्रीय स्तर पर बदनाम किया जा सके । कमलनाथ जी द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू.एच.ओ .) द्वारा जारी दिशा - निर्देशों का भी उल्लंघन किया गया है कि कोरोना वैरियेन्ट का किसी प्रकार का कोई नाम किसी देश , व्यक्ति , संस्था , पक्षी इत्यादि पर ना करें । उक्तानुसार इन निर्देशों का विश्व के देश पालन भी कर रहे है । परन्तु कमलनाथ जी द्वारा उक्त महामारी में भी जान - बूझकर इस प्रकार के देशद्रोही बयान दिये गये ताकि उक्त बयान सुनकर , पढकर देश की आम जनता में देश के विरूद्ध भावना उत्पन्न हो , देश के प्रशासन के विरूद्ध बगावती हो । जिससे देश के अंदर बगावत उत्पन्न हो , देश के अंदर ऐसी महामारी के समय में भी अपनी ओछी राजनीतिक सोच के कारण देश की आम जनता को भड़काकर तथा भारत जैसे देश को दुनिया के अन्य देशों की नजरो उसकी छवि को धूमिल किया जा सके । इस प्रकार का कृत्य भारतीय दंड विधान के अनुसार राष्ट्रदोह की श्रेणी में आता है । सर्व विदित है

Scanned by CamScanner

कि उक्त महामारी के कारण देश एवं प्रदेश में आपदा प्रबंधन अधिनियम भी लागू है , जिसके अंतर्गत किसी भी प्रकार का आपत्तिजनक या जनता में भय उत्पन्न करने इत्यादि की अफवाहों को फैलाना आपराधिक कृत्य की श्रेणी में आता है । कमलनाथ जी द्वारा अपने उक्त प्रेस - काफेन्स में यह भी आरोप लगाया गया है कि सरकार लाखों लोगों की मौत का आंकडा छिपा रही है । जो कि अत्यंत आपत्तिजनक है तथा आम जनता के मध्य भय उत्पन्न करने का प्रयास भी है । कमलनाथ जी द्वारा उक्त कथन कर शातिपूर्ण वातावरण को जानबूझकर दूषित करने का प्रयास किया गया है । उनके उक्त प्रकार के कथनों को सुनने के पश्चात जनता के मध्य भय , असुरक्षा एवं अविश्वास का वातावरण उत्पन्न होगा , जिससे आम जनता के मन में देश के प्रधानमंत्री एवं प्रशासन के विरुद्ध वैमनस्यता पैदा कर देश में अशांति उत्पन्न की जाये । श्रीमान जी , देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने किसानों के हित में डीएपी के भाव कम करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया , लेकिन संदेश लोगों तक ना पहुंचे , विशेषकर किसानों तक ना पहुंचे इस उद्देश्य से कमलनाथ जी जो कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है , वे पूर्व केन्द्रीय मंत्री तथा पूर्व मुख्यमंत्री के पद पर आसीन रह चुके है एवं वर्तमान में मध्यप्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर आसीन है उनके द्वारा अपने विधायकों के साथ हुई वर्चुअल मीटिंग में आग लगाने की बात कहकर कानून और शांति व्यवस्था को भंग करने का भी दुष्कृत्य किया गया है । पूरा विश्व कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रहा है तथा देश में अनेकों देशद्रोही शक्तियां उक्त महामारी की आड़ में देश को बदनाम करने के षड़यंत्र कर रही है । कमलनाथ जी उन्ही शक्तियों का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से कहीं न कहीं सहयोग ही कर रहे है । अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि कमलनाथ जी के उक्त वर्चुअल मीटिंग एवं प्रेस कांफेन्स के बयानों के आधार पर उनके विरूद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 124 - ए 124-2 , धारा 153-2 / धारा -188 , सायबर क्राईम की धारा 65 - बी के अंतर्गत आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की कृपा करे । सलंग्न- पैन - ड्राईव (वर्चुअल बैठक एवं प्रेस कांफेस के वीडियो)। धन्यवाद (विश्वास सारंग) हस्ताक्षर अपठनीय अंग्रेजी में (श्रीमती कृष्णा गौर) हस्ताक्षर अपठनीय अंग्रेजी में (रामेश्वर शर्मा) हस्ताक्षर अपठनीय अंग्रेजी में (श्रीमती सीमा सिंह) हस्ताक्षर अपठनीय अंग्रेजी में (आलोक शर्मा) हस्ताक्षर अपठनीय अंग्रेजी में (राहुल कोठारी) हस्ताक्षर अपठनीय अंग्रेजी में (ड . राघवेन्द्र) हस्ताक्षर अपठनीय अंग्रेजी में (संतोष शर्मा) हस्ताक्षर अपठनीय अंग्रेजी में भवदीय (सुमित पचौरी) प्रतिलिपि : - पुलिस महानिदेशक , मध्यप्रदेश । हस्ताक्षर अपठनीय अंग्रेजी में

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.**

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 उल्लेख धारा के तहत है |)

or (या)

(1) Registered the case and took up the investigation: (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): yogita satnakar(I (Inspector)) /

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):

No.(सं.):

Rank (पद):

to take up the Investigation

(को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए):

Scanned by CamScanner

or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S.(थाना): District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R. read over to the complainant / informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी |)

R.O.A.C.(आर. ओ .ए .सी.)

थाना प्रभारी के निर्देश पर प्राथमिकी दर्ज की गई

FIR Writer (कायमीकर्ता के हस्ताक्षर)

Name (नाम):

Rank (पद):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम):yogita satnakar

Rank(पद):I (Inspector)

No.(सं.):

14.Signature/Thumb impression of the complainant / informant.
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

15.Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण : (यदि ज्ञात / देखा गया))

Scanned by CamScanner